

आधारभूत साक्षरता का घटक ‘पढ़ना’ सृजन एवं संवर्धन

संध्या संगई*

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षा का मूलभूत आधार माना गया है। नीति निर्माताओं के विचारानुसार कक्षा तीन तक सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान हो जाना चाहिए ताकि आगामी कक्षाओं की पढ़ाई को वे सुचारू रूप से कर सकें। बुनियादी साक्षरता में पढ़ने-लिखने का कौशल मूल रूप से शामिल है लेकिन आवश्यकता यह समझने की है कि बच्चे पढ़ने-लिखने का कौशल कैसे ग्रहण करें और इस कौशल में कौन-कौन से उप-कौशल पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। ‘पढ़ना’ एक महत्वपूर्ण साक्षरता कौशल है। इसका अभिप्राय मात्र शब्दों और वाक्यों का वर्णों के आधार पर पहचान कर बता देना ही नहीं है अपितु एक सामग्री विशेष का क्या सार है या भाव है इसका अर्थग्रहण करना है। ‘पढ़ना’ एक बुनियादी कौशल है। इस कौशल को बच्चों में किस प्रकार विकसित किया जाए, अर्थ-ग्रहण की क्षमता विभिन्न प्रकार से कैसे बढ़ाई जाए तथा माता-पिता व परिजन किस प्रकार इस कौशल के समग्र विकास में सहायक हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं को इस लेख के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान समय में देश के हर वर्ग की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का स्वागत किया गया है। इस नीति के सफल क्रियान्वयन के द्वारा राष्ट्र को आगे लेकर जाने की आशा, विभिन्न क्षेत्रों द्वारा, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो या उद्योग से या रोजगार बाजार से, जताई गई है। शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन की भी अनुशंसा की गई है। यद्यपि साथ ही यह भी कहा गया है कि भौतिक रूप से बहुत फेरबदल संभव नहीं है। इसलिए वर्तमान ढाँचे में, सोच में या कार्यों की रूपरेखा में आवश्यक संशोधन कर नीति में की गई अनुशंसाओं की अनुपालना होनी

चाहिए। इस नीति का सर्वाधिक सराहनीय कदम पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल पर पूरा ज़ोर दिया जाना है। यह कदम बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित था। यद्यपि व्यापक रूप से इस बात को माना गया है कि मानव मस्तिष्क का तीव्रतम विकास शुरुआती छः वर्षों में होता है। ये शुरुआती छः वर्ष इंगित करने लगते हैं कि अमुक बच्चा किस प्रकार अच्छा सीखकर जीवन में उपलब्धि प्राप्त करने में सक्षम है। कहा जाता है कि प्रारंभिक वर्षों में किया गया निवेश विकास की गति तीव्रतर करता है। इसे राष्ट्र की समृद्धि की दृष्टि से भी सराहा जाता है। वर्तमान शिक्षा नीति ने जिस संरचना

* प्रोफ़ेसर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली 110 016

की बात की है उसमें स्कूली शिक्षा की कुल अवधि 15 वर्ष रखी गई है। इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया गया है। तदनुसार चार आयामों (stage) में स्कूली शिक्षा को पुनर्नियोजित किया गया, जो इस प्रकार है—

फाउंडेशनल स्टेज (5 वर्ष)	3 वर्ष इसीसीई + कक्षा 1 और 2 (3से 8 वर्ष)
प्रिपेरेट्री स्टेज (3 वर्ष)	कक्षा 3, 4 और 5 (8 से 11 वर्ष)
मिडिल स्टेज (3 वर्ष)	कक्षा 6, 7 और 8 (11 से 14 वर्ष)
सेकेंडरी स्टेज (4 वर्ष)	कक्षा 9–12 (14 से 18 वर्ष)

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान— अविलंब आवश्यकता

शिक्षा नीति में यह उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है कि फाउंडेशनल स्टेज सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा औपचारिक तंत्र में सम्मिलित नहीं थी इसलिए इस पर बिना देरी कार्य किया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान विकसित करने पर नीति ने काफी जोर दिया है। नीति निर्माताओं ने तो यहाँ तक कहा कि यदि इस साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान को विकसित नहीं कर पाएँगे तो सारी नीति ही असंगत तथा अर्थहीन हो जाएगी। इसीलिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (पूर्वतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय) ने साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान मिशन का गठन किया है जो देश व राज्यों को उचित

दिशा-निर्देश दे सके कि किस प्रकार आधारभूत साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान का हर स्तर पर संवर्धन किया जा सके।

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का यदि अर्थ व उद्देश्य जानना चाहे तो यह बहुत ही सामान्य है। यह बात अकसर कह दी जाती है कि बच्चे आजकल बड़ी-बड़ी कक्षा तक तो पढ़ लेते हैं लेकिन जब व्यावहारिक जीवन की बात आती है तो वे निरुत्तर से दिखाई देते हैं। आप यदि एक सब्जी वाले से कुछ सब्जी लेकर पैसे पूछते हैं तो वह झटपट अपने तरीके से गणना कर आपको बता

सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा जिसे कई मोर्चों पर किए जाने वाले तात्कालिक उपायों और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि में प्राप्त किया जाएगा (जिसमें प्रत्येक छात्र को कक्षा-3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान को आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया गया है)। शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान प्राप्त करना होगा। सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं (अर्थात्, मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और अंकगणित) को हासिल करने पर ही हमारे विद्यार्थियों के लिए बाकी नीति प्रासंगिक होगी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (2.2)

देता है जो ठीक होता है लेकिन दूसरी ओर आप जब स्वयं जोड़ने लगते हैं तो आपको उसकी तुलना में काफी देर लगती है और बीच ही में आप उससे उसका हिसाब दोहराने को कहते रहते हैं। आजकल के बच्चे कक्षा में गणित में 'A' ग्रेड ला रहे हैं लेकिन वास्तविक स्थिति आने पर ठिठक जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माताओं ने यह सच्चाई स्पष्ट रूप से दृष्टिगत की है। उनका मानना है कि शुरुआती वर्षों में बच्चे बहुत होशियार तथा चुस्त होते हैं। ऐसे में उनमें महत्वपूर्ण जीवन कौशल, जैसे— आधारभूत गणितीय तथा भाषायी योग्यताएँ, रचनात्मक तरीके से सोचना, बेझिझक अधिगम को प्रयोगात्मक तरीके से करके अपने को आश्वस्त करना, अपनी बात समुचित रूप से बोल कर या लिखकर दूसरों तक पहुँचना आदि का सृजन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उनकी इन प्रतिभाओं का यथोचित रूप से पोषण करना चाहिए।

प्रस्तुत लेख में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अहम बिंदु, बुनियादी साक्षरता के एक प्रमुख घटक 'पढ़ना' पर विस्तृत चर्चा की गई है। 'पढ़ने' का अर्थ क्या है, पढ़ने के कौशल में कौन-कौन से कौशल सम्मिलित हैं तथा पढ़ने के कौशल को बच्चों में विकसित करने के लिए विद्यालयों, शिक्षकों तथा बड़े लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए। इसके साथ ही इस कौशल का पोषण तथा संवर्धन बच्चों में किस प्रकार हो, इसके बारे में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं।

‘पढ़ना’ — अभिप्राय एवं घटक

पढ़ने की क्षमता शिक्षा की बुनियाद है क्योंकि इसके बिना किसी भी विषय की पढ़ाई की कल्पना नहीं

की जा सकती। साथ ही स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त सामान्य जीवन व संस्कृति के संदर्भ में भी पढ़ने की क्षमता का विशेष महत्व है। किसी भी समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए और यह तभी संभव है जब वह पढ़ना जानता हो। यूँ तो पढ़ना किसी भी आयु में सीखा जा सकता है लेकिन बचपन में पढ़ने के कौशल में दक्षता पाकर बच्चे संभावित चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं।

‘पढ़ना’ क्या है, इसका उत्तर किसी परिभाषा के तौर पर नहीं दिया जा सकता है। जब हम स्वयं इसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं तो ‘पढ़ने’ का अभिप्राय कुछ इस प्रकार समझ आता है—

- छपी हुई सामग्री को उच्चारित करना।
- लिखी हुई बात को समझ पाना।
- किसी भाषा की लिपि को पहचानना।
- तेज़ रफ़्तार से अक्षर पहचानकर उन्हें जोड़ पाना।
- शब्द — पहचान करते हुए और अनुमान लगाते हुए छपी सामग्री को समझना।
- छपी सामग्री पर भावनात्मक स्तर पर प्रतिक्रिया दे पाना।

इस सभी जवाबों में पढ़ने का कुछ अंश शामिल है और जब इन्हें समग्र रूप से रखा जाए तब ‘पढ़ने’ के विभिन्न पहलू समझ आने लगते हैं। ‘पढ़ना’ केवल लिपि या लिपिबद्ध भाषा को मात्र बोलकर बता देना ही नहीं है बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें छपी सामग्री से कई स्तरों तथा कई पहलुओं से अंतःक्रिया करना भी शामिल है। इसी प्रकार यह समझ लेना ही आवश्यक है कि पढ़ना एकल कौशल नहीं है, इसमें बहुत से कौशल निहित हैं जो एक दूसरे

से जुड़े हुए हैं। इन सबके एक साथ होने से 'पढ़ना' एक संपूर्ण प्रक्रिया बनती है।

अर्थ-ग्रहण पढ़न-कौशल का अभिन्न घटक है। किसी विषयवस्तु को पढ़कर बच्चे उसे किस प्रकार समझते हैं, यह बात किसने लिखी (कही), क्या लिखा, कब लिखा, कहाँ लिखा, क्या विचार है और उसका क्या अभिप्राय है। अर्थ-ग्रहण योग्यता बच्चों को किसी विषयवस्तु का अर्थ व अभिप्राय समझने में सहायता करती है और 'पढ़ना' केवल एक नाम मात्र प्रक्रिया नहीं रहती अपितु बच्चों की वैचारिक सोच एवं संवेदनशीलता को प्रेरणा देती है। बच्चों में अर्थ-ग्रहण दक्षता को विकसित करने के कई तरीके हो सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर नीचे दिए गए तरीकों का प्रयोग कर बच्चों में इस दक्षता को विकसित किया जा सकता है—

1. चित्रकारी
2. प्रश्न उत्तर द्वारा
3. चिंतन के लिए प्रेरणा द्वारा
4. घटनाओं व जीवन में जुड़ाव बनाकर
5. 'पढ़ने' को एक आदत बनाकर

1. चित्रकारी— बच्चों के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के चित्र उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम हैं। छोटी उम्र के बच्चों के लिए भाषा की बारीकियों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना भले ही कठिन हो किंतु वे अपने तरीके से चित्रकारी या चित्रों में भरे गए रंगों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता या खिन्नता को व्यक्त कर पाते हैं। अध्यापक या माता-पिता बच्चों को किसी पठन सामग्री को पढ़कर उस पर आधारित चित्रकारी बनाने को कह सकते हैं। इससे बच्चे की उस सामग्री के प्रति 'समझ' या 'अर्थ-ग्रहण' क्षमता के बारे में पता लग सकता है।

2. प्रश्न-उत्तर द्वारा— किसी भी विषयवस्तु को पढ़ने के उपरांत शिक्षक या अभिभावक या अन्य बच्चों से कुछ संबंधित प्रश्न पूछ कर उनकी अर्थ ग्रहण योग्यता का पता लगा सकते हैं। ये प्रश्न पूर्णतः सामग्री पर आधारित हो सकते हैं या फिर सामग्री के आधार पर कुछ रचनात्मक या शोधात्मक या अन्वेषणात्मक भी हो सकते हैं। बच्चे उस अनुच्छेद के आधार पर कुछ मजेदार उत्तरों के साथ अपनी भावनाएँ तथा कल्पनाओं को प्रकट कर सकें। इससे यह स्पष्ट होगा कि बच्चे उस सामग्री का अर्थ अथवा भाव ग्रहण कर पाए हैं।

3. चिंतन के लिए प्रेरणा द्वारा— अनुच्छेद में दिए गए वृत्तान्त को पढ़ने के बाद शिक्षक या अभिभावक बच्चों की प्रतिक्रिया जानने के लिए कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बच्चे 'शेर और चूहे' की कहानी पढ़ें तो फिर उनसे पूछा जा सकता है कि वे शेर के व्यवहार के बारे में क्या सोचते हैं? शेर ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या चूहा इतना बड़ा जोखिम ले सकता है कि शेर के ऊपर घूमता रहे। उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्या यह कहानी आपको सच प्रतीत होती है?

4. विद्यालय क्रियाकलापों व वास्तविक जीवन में जुड़ाव स्थापित करना— बच्चों को पढ़ाई रुचिपूर्ण लगे, इसके लिए उनकी विद्यालय से बाहर तथा विद्यालय के भीतर के अनुभवों में जुड़ाव होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि बच्चों को किसी साहसिक बालक या बालिका की साहसपूर्ण घटना पढ़ने को दी जाए और फिर उनसे पूछा जाए कि क्या उनके आस-पड़ोस में कभी किसी बड़े या बच्चे द्वारा कोई साहसिक काम किया गया है? इसके

अतिरिक्त आस-पास घट रही घटनाओं पर आधारित लेख या अनुच्छेद पढ़ने के बाद बच्चों को कहा जा सकता है कि वे अपने संबंधित अनुभव उसमें जोड़ कर बताए।

5. **‘पढ़ना’ एक आदत बनाकर**— जितना अधिक पढ़ा जायेगा उतनी ही अर्थ-ग्रहण योग्यता बढ़ेगी। अतः विभिन्न प्रकार की रोचक पठन सामग्री को बच्चों के वातावरण में उपलब्ध कराके उनकी रुचि ‘पठन’ की तरफ की जा सकती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा भाषायी योग्यताओं के विकास के लिए यह बार-बार संस्तुत किया गया है कि कक्षा में तथा विद्यालय में बच्चों की उम्र व विकास के आधार पर रुचिपूर्ण पठन-सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए तथा बच्चों को ‘पढ़ने’ के लिए समय उपलब्ध कराना चाहिए। ‘पढ़ने’ की तरफ रुचि होने पर बच्चे स्वयं पुस्तक या मैगज़ीन पढ़ना चाहते हैं और जैसे-जैसे वे पढ़ते हैं उनकी अर्थ ग्रहण योग्यता का विकास होता है।

बच्चों के पठन-कौशल सृजन में शिक्षकों तथा परिजनों की भूमिका

छोटी उम्र में किसी भी शौक या आदत की शुरुआत घर से होती है। इस आदत को सृमद्ध करने में घर का बहुत बड़ा योगदान होता है। छोटे बच्चों के जीवन में घर तथा विद्यालय दोनों ही महत्वपूर्ण हितधारक हैं। प्रायः कहा जाता है कि विद्यालयों और घर के बीच जुड़ाव हो तथा शिक्षकों और परिजनों के बीच संवाद में निरंतरता हो। इसी जुड़ाव और संवाद से बच्चों के समग्र विकास की गति तीव्रतर होती है जो अंततः उपलब्धि के रूप में परिलक्षित होती है। पठन कौशल एक बुनियादी योग्यता है जो अन्य योग्यताओं व क्षमताओं के

विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होती है। पठन-कौशल को विकसित तथा समृद्ध करने के लिए मूलरूप से अभिभावक तथा अन्य परिजन एवं विद्यालय में शिक्षक निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं—

1. **उच्च स्वर से पढ़ना**— शुरुआती वर्षों में जब बच्चे पढ़ना नहीं जानते, यदि उनको उच्च स्वर से पढ़कर सुनाया जाए तथा उप-शीर्षक वाले श्रव्य-दृश्य चल या अचल सामग्री का प्रयोग और अभिनय कर बताया जाए तो इससे उनके आस-पास साक्षरता के अनुभवों का सृजन होता है। वे भी माता-पिता तथा अन्य बड़ों के द्वारा पढ़ने के दौरान प्रयोग किए गए उतार-चढ़ाव व भावों को समझने लगते हैं और उनसे अर्थ भी ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। इससे उनके ‘शब्दकोश’ में नए शब्द जुड़ते हैं। धीरे-धीरे वे उस सामग्री पर हाथ रखने लगते हैं जिसे उनको पढ़कर सुनाया जाता है और कभी-कभी पढ़ने का प्रयास भी करने लगते हैं। पढ़ने के प्रति रुझान पठन-कौशल को विकसित करने के लिए एक सकारात्मक कदम होता है।
2. **बच्चों को स्वरुचि से पढ़ने देना**— घर में उपलब्ध बच्चों की रुचि से संबंधित कुछ किताबें, पत्रिकाएँ तथा अन्य सामग्री के लिए बच्चों को यह छूट होनी चाहिए कि वह स्वयं पठन-सामग्री का चयन करें। इस कार्य में यदि वे चाहें तो उनकी सहायता अवश्य की जानी चाहिए किंतु मुख्य रूप से उनके चयन को ही सराहा जाना चाहिए। ऐसा करने से केवल उनका साक्षरता कौशल ही बेहतर नहीं होगा अपितु वे ज्यादा प्रवृत्त होकर पढ़ेंगे। कभी-कभी बच्चों को यदि पुस्तकालय या पुस्तक मेले में ले जाकर उनकी पसंद की पुस्तक का चुनाव करने को कहा

जाए तो इससे भी बच्चों के साक्षरता कौशल का उत्तरोत्तर विकास होगा। यह चुनाव किस प्रकार किया जाए इस बारे में बात चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान की जा सकती है।

3. **उचित पुस्तक या सामग्री का चुनाव**— बच्चे कई बार किसी एक पुस्तक या सामग्री विशेष से उब जाते हैं। ऐसे में यदि उनको अन्य पुस्तक या सामग्री पढ़ने को दी जाए तो उनका पढ़ने का शौक खत्म नहीं होता। इसी प्रकार कई बार बच्चे एक पुस्तक या पठन सामग्री पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन उसके पूरा होने से पहले ही उनकी रुचि उस सामग्री से हट जाती है। ऐसे में उन्हें उसे पूरा करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। यदि उनका मन करेगा तो वे कुछ समय बाद स्वयं उस सामग्री को पूरा पढ़ेंगे। अभिभावकों तथा बड़े लोगों के लिए चुनौती यही होती है कि वे सतत रूप से बच्चों के साथ पुस्तकें और अच्छी तथा रुचिपूर्ण पठन-सामग्री को साझा करें।
4. **बच्चों में जिज्ञास का बीजारोपण करना**— बच्चों के पठन-कौशल का विकास उनमें जिज्ञासा का बीजारोपण करके भी किया जा सकता है। यदि सामग्री के आधार पर बच्चों के साथ प्रश्नोत्तर के माध्यम से संवाद किया जाए तो इससे उनमें कौतुहल उत्पन्न होता है। कभी-कभी अपने उत्तर को प्रभावी बनाने के लिए वे उस सामग्री को दोबारा से पढ़ते हैं या उसमें से कुछ तथ्य प्रमाणस्वरूप दिखाते हैं। ऐसा होना न केवल बच्चों की पठन-योग्यता का परिचायक है बल्कि उनकी अर्थग्रहण योग्यता को भी स्पष्ट करता है। कई बार बच्चे प्रश्न का उत्तर देने में ठिठकते हैं, ऐसे में उनको सामग्री को समझने में सहायता करनी चाहिए। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए।

सामग्री में दी गई बातों को रोमांचकारी बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करके और उनकी कल्पनाओं का पूरी तरह आनंद लेकर भी उनकी रुचि पठन-कौशल की ओर बढ़ाई जा सकती है।

5. **बच्चों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करके**— अभिभावक, शिक्षक तथा साथी बच्चों के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं, इनमें से अभिभावक व अध्यापकों का प्रभाव तीव्रतर होता है। जब बच्चे अपने परिवार में माता-पिता व अन्य लोगों को पढ़ते हुए देखते हैं और उनसे पुस्तकों के बारे में चर्चा की जाती है तो धीरे-धीरे छोटे बच्चे उनकी नकल करने के लिए पढ़ने का अभिनय करने लगते हैं और फिर पढ़ने में रुचि लेने लगते हैं। जब 'पढ़ना' एक आदत के रूप में हो जाता है तो पढ़ने से संबंधित कौशलों का विकास होने लगता है, जैसे— अर्थ ग्रहण योग्यता, अपनी बात कहने का साहस आदि।
6. **बच्चों के आस-पास के वातावरण में बाल साहित्य व अन्य सामग्री की उपलब्धता बढ़ाकर**— प्रायः देखा जाता है कि पढ़ने की रुचि रखने वालों के घर में पुस्तकों तथा अन्य प्रकार की सामग्रियों का भंडार होता है। यह

हमारे अधिकांश विद्यालयों में पढ़ना-लिखना एक निरर्थक, उबाऊ और यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह गई है। भाषीय वातावरण भाषा सीखने में अहम भूमिका निभाता है। पढ़ने के भरपूर अवसर बच्चों का विविध पठन सामग्री में डूबने और उससे जूझने के अवसर देते हैं, यह पढ़ना सीखने की पहली शर्त है। बच्चे पढ़ने के लिए तभी प्रेरित होंगे जब पढ़ना उनके लिए आनंदायी अनुभव बनेगा

पढ़ने की समझ, रा.शै.अ.प्र.प. (2009)

आवश्यक नहीं है कि बच्चों के कमरों में ही उनसे संबंधित पुस्तकें रखी जाएँ। घर के विभिन्न स्थानों पर पुस्तकें, पत्रिकाएँ तथा अन्य प्रकार की सामग्री रखी जा सकती है, जैसे— शैल्फ़ में पुस्तकें, मेज़ पर पत्रिकाएँ, दीवार पर कविताओं के पोस्टर। इसी प्रकार वे सभी स्थान जहाँ बच्चे अक्सर आते-जाते हैं, पठन-सामग्री से सुसज्जित किए जा सकते हैं। समय-समय पर स्थान की अदला-बदली की जा सकती है ताकि बच्चे इस बात पर भी गौर करें और अपनी रुचि की सामग्री को ढूँढ़ लें। ऐसा वातावरण होने पर यह अवश्य ही संभव है कि बच्चे किताबों को उठाएँगे, कुछ भी नहीं तो उन्हें उलट-पलट कर ज़रूर देखेंगे। यह पढ़ने की शुरुआत है।

7. **बच्चों की रुचि अनुसार सामग्री की उपलब्धता**— अभिभावकों को बच्चों की रुचि के अनुसार सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए ताकि पठन रुचिपूर्ण बने। कई बार माता-पिता ऐसा सोचने लगते हैं कि अमुक सामग्री बच्चों के स्तर से परे है, अतः उसे उपलब्ध कराने का लाभ नहीं होगा। हाँलाकि, उसकी विषयवस्तु बच्चे के लिए रुचिकर है। यहाँ इस बात से इंकार नहीं किया जा रहा कि बच्चों के सामने रखी गई सामग्री उम्र तथा विकास के अनुरूप होनी चाहिए। लेकिन कई बार रुचि के अनुरूप कुछ कठिन सामग्री भी मिले तो बच्चे स्वयं या दूसरों की सहायता से उसे पढ़ने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। अतः बच्चों की रुचि को समझना सर्वप्रथम आवश्यक है।

8. **पढ़ने को एक सामाजिक प्रक्रिया बनाकर**— विद्यालय में या घर पर पढ़ाई को प्रायः एक एकल गतिविधि माना जाता है। कई बार इसके स्वरूप में परिवर्तन कर इसे एक सामाजिक

गतिविधि बनाया जा सकता है जिससे यह और रुचिपूर्ण बनता है। यहाँ सामुदायिक भांगिता बहुत अच्छा योगदान दे सकती है। अक्सर हम सभी के घरों में बाल-साहित्य थोड़ी या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अवश्य होता है। यदि एक विशेष मोहल्ले के लोग या फिर एक अपार्टमेंट में रहने वाले लोग एक स्थान बना लें जहाँ ये साहित्य रखा जा सके। एक समय निर्धारित कर लें जब सभी बच्चे आकर बैठकर एक साथ पढ़ सकें और अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक अपने घर लेकर जा सकें तो यह एक बहुत ही लाभप्रद तथा बिना खर्च के की जानी वाली गतिविधि हो सकती है। इस संबंध में विभिन्न लोग बारी-बारी से समय देकर अपना सहयोग दे सकते हैं। इस तरह की गतिविधियाँ न केवल पढ़ने के लिए उचित वातावरण देगी अपितु बच्चों के सामाजिक कौशलों को भी पुष्ट बनाएँगी।

निष्कर्ष

‘पढ़ना’ एक आनंददायी, रुचिपूर्ण तथा सामाजिक जीवन कौशल है जिसकी आवश्यकता सबको आजीवन रहती है। बच्चों में पढ़ने-लिखने के कौशल को अभिभावक व शिक्षक-गण विभिन्न प्रयासों द्वारा पुष्ट बना सकते हैं जिनमें से कुछ की चर्चा ऊपर की गई है। संभावनाएँ असीमित हैं और ऊपर किया गया विवेचन उदाहरण मात्र है। अपने वातावरण व सीमाओं में रहते हुए यदि बच्चों के इस कौशल के विकास की ओर ध्यान दिया जाए तो अवश्य रूप से बहुत-सी संभावनाएँ सामने आएँगी और इस कौशल का सहारा लेकर अन्य क्षेत्रों में बच्चों का विकास सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा।

संदर्भ

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार.
रा.शै.अ.प्र.प. 2009. *पढ़ने की समझ*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

सभी प्रकार की शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य 'मनुष्य-निर्माण' ही हो। सारे प्रशिक्षकों का अंतिम ध्येय मनुष्य का विकास करना ही है। जिस अभ्यास से मनुष्य की इच्छाशक्ति का प्रवाह और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम है शिक्षा। आज देश को जिस चीज़ की आवश्यकता है, वह है लोहे की मांस-पेशियाँ और फौलाद के स्नायु-दुर्दमनीय प्रचंड इच्छाशक्ति जो सृष्टि के गुप्त तथ्यों और रहस्यों को भेद सके और जिस उपाय से भी हो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में समर्थ हो, फिर चाहे उसके लिए समुद्र तल में ही क्यों न जाना पड़े। साक्षात् मृत्यु का सामना क्यों न करना पड़े। हम 'मनुष्य' बनाने वाला धर्म ही चाहते हैं। हम 'मनुष्य' बनाने वाला सिद्धांत ही चाहते हैं। हम सर्वयु सभी क्षेत्रों में 'मनुष्य' बनाने वाली शिक्षा ही चाहते हैं।

स्वामी विवेकानंद, शिक्षा, 1956